जब भी आप कंप्यूटर पर ऑनलाइन कुछ ढूंढ रहे होते हैं तब एक साथ कई कंपनियों की नजर आप पर टिकी होती है

हर घड़ी किसी की निगाह में

सुमन कुमार

दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करने वाली आशा इन दिनों एक अजीब सी परेशानी से जूझ रही हैं। उन्होंने अपनी नन्ही सी बेटी के लिए कुछ चीजें खरीदने की मंशा से इंटरनेट की कुछ वेबसाइटें खंगाली थीं। वहां तो उन्हें काम की कोई चीज नहीं मिली मगर अब अचानक से वह अपने काम की जो भी वेबसाइट खोलती हैं उनमें एक किनारे बच्चों के उन्हीं सामान के विज्ञापन उनके सामने आ जाते हैं। हद तो तब हो गई जब ऑनलाइन डिक्शनरी की वेबसाइट खोलने पर भी ये विज्ञापन दिखाई देने लगे। आशा के पास इनसे निजात पाने का कोई जरिया नहीं है। तकनीकी उन्नति के कारण आम इंसान की निजता खत्म होने के अबतक के सबसे बुरे दौर में आपका स्वागत है।

यह दरअसल निजता के हनन का एक बेहद छोटा सा नमूना है। वर्तमान स्थिति यह है कि यदि आप इंटरनेट से जुड़ा कोई भी उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सूचनाएं न तो गोपनीय हैं और न ही सुरक्षित। सूचना तकनीक क्षेत्र की कई कंपनियां और कई पेशेवर हैकर आपके कंप्यूटर की एक-एक हरकत पर पैनी निगाह गड़ाए हुए हैं और आपकी गतिविधियों का अपने फायदे में इस्तेमाल करने की जुगत लड़ा रहे हैं। हर बार जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो ये कंपनियां अपने कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कुकीज के रूप में आपके कंप्यूटर में स्थापित कर देती हैं। इसके बाद आप जो भी वेबसाइट खोलते हैं और जो भी चीजें देखते हैं, ये कुकीज अपने सर्वर को वो सारी जानकारी भेज देती हैं। वह सर्वर आपके द्वारा देखी गई जानकारी का विश्लेषण करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि आप इंटरनेट पर क्या ढूंढ रहे हैं। उसके बाद अगली बार आप जब भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई भी साइट खोलें उन्हीं चीजों के विज्ञापन आपके सामने परोसे जाते हैं, भले ही आपको उनकी जरूरत हो या नहीं। कई अंतरराष्ट्रीय बैंकों और कई देशों के सरकारी विभागों को साइबर सुरक्षा के गुर सिखाने वाली भारतीय कंपनी कोयनिग सॉल्यूशंस के मुखिया और मुख्य कार्य अधिकारी रोहित अग्रवाल कहते हैं कि लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि इंटरनेट के इस्तेमाल की कीमत उन्हें अपनी निजता के हनन के रूप में चुकानी ही होगी। इससे बचने की गुंजाइश बेहद कम है। कोयनिग सॉल्यूशंस के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ संतोष कुमार के अनुसार हैकिंग या वायरस आक्रमण से बचने या इंटरनेट पर अपनी हरकतों को गोपनीय रखने का 100 फीसदी सुरक्षित तरीका कभी भी संभव नहीं हो सकता क्योंकि जैसे-जैसे आप सुरक्षा बढ़ाएंगे वैसे-वैसे कंप्यूटर का सुगम इस्तेमाल और उसकी कार्यक्षमता घट जाएगी क्योंकि ये तीनों एक त्रिकोण के तीन बिंदु हैं। आप उनमें से जिस भी बिंदु के जितना करीब जाएंगे बाकी दो बिंदुओं से उतनी ही दूर हो जाएंगे।

एक और उदाहरण देखें। दिल्ली में रहने वाले एक आईटी विशेषज्ञ का एक नितांत निजी फोन नंबर अचानक सार्वजनिक हो गया। यह नंबर उनके कुछ बेहद करीबी लोगों के पास ही था। दरअसल, उनके एक करीबी एंड्रायड ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक मुफ्त एप्लीकेशन या संक्षेप में कहें तो एप्प आता है जिसका नाम है ट्रू कॉलर आईडी। इसकी खासियत यह है कि आपके फोन में किसी अनजाने नंबर से भी फोन आता है तो यह एप्प आपको संबंधित नंबर के मालिक के बारे में जानकारी दे देता है। सुनने में तो यह खासियत बहुत आकर्षक लगती है लेकिन अब जरा इसके छिपे हुए गुण जान लें। जब भी आप अपने फोन में इस एप्प को डाउनलोड करते हैं तो कंपनी आपसे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहती है। ऑनलाइन दुनिया के चलन के हिसाब से आप इसे बिना पढ़े ओके कर देते हैं और यहीं गच्चा खा जाते हैं। दरअसल, इस एग्रीमेंट में एक शर्त यह है कि कंपनी आपको मुफ्त में यह एप्प देगी मगर बदले में आपके फोन में मौजूद सारे नंबरों का इस्तेमाल अपने डाटा बेस में करेगी। यानी

आईटी विशेषज्ञ महोदय भले ही अपनी ओर से अपना नंबर निजी और चुनिंदा लोगों के बीच ही रखना चाहते हों मगर उनके ही एक करीबी ने अनजाने में उनकी गोपनीयता खत्म कर दी।

वैसे रोहित अग्रवाल कहते हैं कि कंपनियों द्वारा डाटा जुटाने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। सुरक्षा एजेंसियों के नजरिये से देखें तो कई आतंकी घटनाओं को समय रहते टाला जा सका क्योंकि ये एजेंसियां भी लोगों की इंटरनेट गतिविधियों की निगरानी करती रहती हैं और कुछ भी संदिग्ध लगने पर सुरक्षात्मक कदम समय रहते उठा लेती हैं। हालांकि सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों तथा अन्य आलोचकों के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल

अगर आप इंटरनेट के जरिये सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसकी कीमत अपनी निजता गंवाने के रूप में चुकानी होगी।

रोहित अग्रवाल
सीईओ, कोएनिग सॉल्यूशन्स

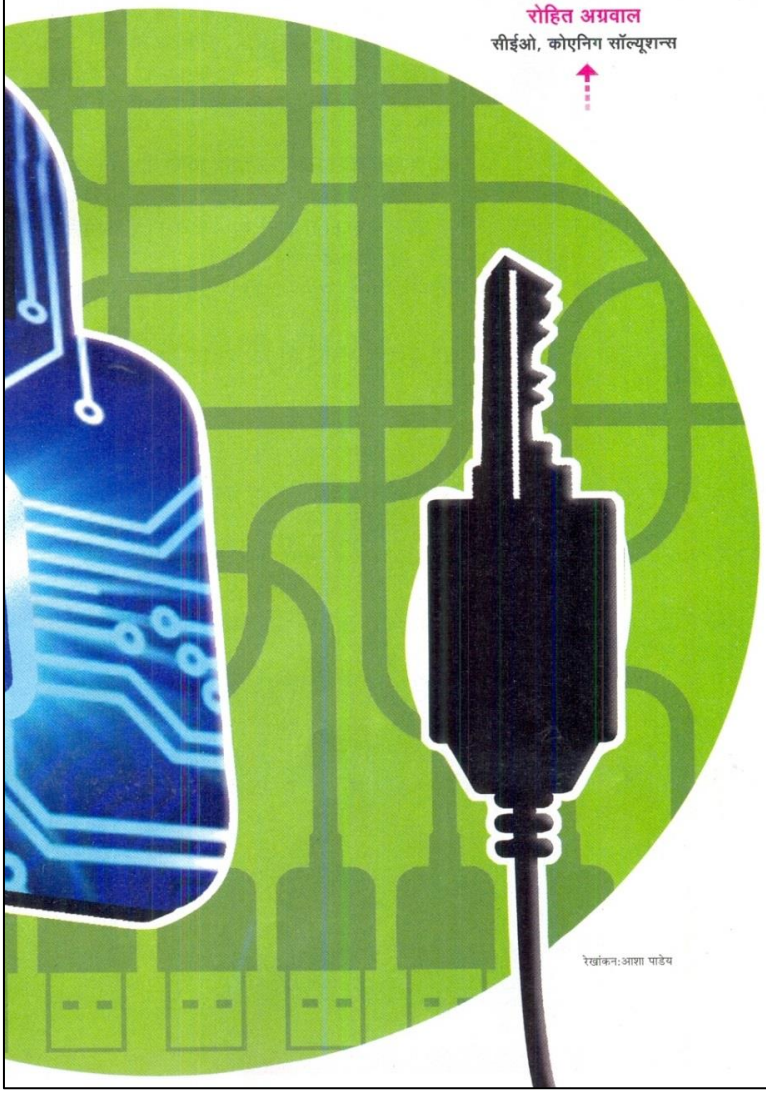

रेखांकन: आशा पांडेय

कर सकती हैं। वैसे अग्रवाल यह भी कहते हैं कि भारतीय एजेंसियां फिलहाल इस काम में अभी बहुत पीछे हैं जबकि अमेरिकी बहुत आगे। कंपनियां कैसे आपकी निगरानी करती हैं, इसे अग्रवाल सही तरीके से समझाते हैं। उनके अनुसार मान लीजिए आप गूगल पर कोई जानकारी लगातार खोजते रहते हैं तो गूगल के पास इसकी जानकारी पहुंच गई मगर गूगल को आपका नाम नहीं मालूम। अब आप उसी कंप्यूटर से अपने वीजा या मास्टर कार्ड से कोई लेन-देन करते हैं तो वीजा या मास्टर कार्ड के पास आपका नाम और लेन-देन की पूरी जानकारी होती है। अब इन दोनों सर्वरों के पास मौजूद जानकारी को आपस में मिला दिया जाय तो इससे एक बड़ी जानकारी सामने आती है कि अमुक नाम का व्यक्ति जो वीजा या मास्टर कार्ड से लेन-देन करता है वह साथ ही गूगल पर फलां चीज भी तलाश रहा है। इससे एक ओर तो कंपनियों को सीधे आपको कोई भी चीज बेचने में मदद मिलती है दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध लोगों की सटीक जानकारी भी मिल जाती है। रोहित अग्रवाल के अनुसार अब यह लोगों को तय करना है कि आप अपनी जानकारी बड़ी कंपनियों को देना चाहते हैं या इस सुविधा का लाभ ही नहीं उठाना चाहते। तीसरा कोई विकल्प नहीं है।

वैसे संतोष कुमार बताते हैं कि हर कंप्यूटर में ऐसे विकल्प दिए गए हैं जिनके जरिये आप कुकीज को कंप्यूटर में आने से रोक सकते हैं मगर गूगल तथा अन्य बड़ी वेबसाइटें इस प्रकार डिजाइन की गई हैं कि यदि आपने इन कुकीज को रोक दिया तो इन वेबसाइटों की बहुत सी सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। यानी बचने का कोई रास्ता इन कंपनियों ने नहीं छोड़ा है। कानून भी इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि कंपनियां आपको सर्विस देने से पहले एग्रीमेंट पर सहमति लेती हैं जिसमें यह साफ-साफ लिखा होता है कि अमुक सेवा के बदले कंपनियां आपके डाटा का इस्तेमाल सेवा को और बेहतर बनाने के लिए कर सकती हैं। जाहिर है आपके हाथ पूरी तरह बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील सुमित कुमार कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर से आपके बैंक अकाउंट या अन्य ऐसी कोई चीज चुराता है जिससे आपकी निजी हानि हो सकती है तब तो साइबर कानून आपकी मदद कर सकता है मगर इस तरह सर्फिंग की निगरानी और उस डाटा का अपने बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल से लोगों को बचाने के लिए कोई कानूनी कवच कम से कम भारत में तो उपलब्ध नहीं है। दरअसल, इंटरनेट की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आज कुछ भी सोचकर कानून बनाया जाय तो कुछ महीनों में ही वह कानून पुराना लगने लगता है। इस सारी स्थिति को देखकर ही शायद संतोष कुमार सलाह देते हैं कि यदि आप अपनी गोपनीयता बरकरार रखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, कंप्यूटर से सारे तार निकाल दें और कमरे में ताला लगा लें।